Number of Cases of Mob Lynching

406 **SH. AFTAB AHMED, M.L.A :** Will the Home Minister be pleased to state:

a) the number of cases of mob-lynching/rioting reporting reported in the State of Haryana from 1st January, 2015 to 31st July 2021; and

b) the steps taken or likely to be taken by the Government at the district level to prevent such unfortunate cases of mob-lynching in the State?

SH. Anil Vij, Home Minister, Haryana

Sir,

a) No such case has been reported in the State of Haryana from 1st January, 2015 to 31st July, 2021

b) However, to prevent any such incident, the following steps have been taken;

1. Timely collection of intelligence and transferring to concerned Police officers are real time basis
2. Sensitization of field Police officers at all levels to prevent any such incident and give adequate protection to vulnerable persons.
3. To take effective punitive action against culprits in the event of occurrence of any such incident.
4. To fix responsibility of lapses, if any on the part of government officials and to take deterrent criminal and disciplinary action against defaulters.
5. Preventive Police deployment at vulnerable places.
6. Senior Police officers and magistrates have been instructed to ensure harmony amongst various groups of people.
7. To ensure effective coordination amongst all the stake holders and intelligence agencies.

मॉब लिंचिंग के मामलों की संख्या

406 श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. : क्या गृहमन्त्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई 2021 तक हरियाणा राज्य में दर्ज मॉब लिंचिंग के मामलों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) राज्य में मॉब लिंचिंग के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों को रोकने के लिए जिला स्तर पर सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

श्री अनिल विज, गृहमन्त्री हरियाणा

महोदय,

(क) 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2021 तक हरियाणा राज्य में ऐसा कोई अभियोग दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) यद्यपि, ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गये हैं:–

1. सूचना को समय पर एकत्रित करके सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय सीमा में स्थानांतरित करना।
2. ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी स्तरों पर क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और कमजोर व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।
3. ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति में दोषियों के विरूद्व प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाई करना।
4. सरकारी कर्मचारियों से, यदि कोई चूक हुई हो तो, उसकी जिम्मेदारी तय करना और चूककर्ताओं के विरूद्व जरूरी अपराधिक व अनुशासनात्मक कार्यवाई करना।
5. संवेदनशील स्थलों पर ऐसी घटनाओं को रोकने हेतू जरूरी पुलिस बल की तैनाती।
6. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मैजिस्ट्रटों को विभिन्न समूहों के लोगों के बीच सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
7. सभी हितधारकों और खुफिया एजेंसीयों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।